डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्याः शैक्षिक/ 394 /23
दिनांकः 5-10-2023

कार्यालय ज्ञाप

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय कुलपति आदेश दिनांक 02.10.2023 के अर्न्तगत सभी निदेशक/विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष आवासीय तथा समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, सम्बद्ध महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के संलग्न पत्र संख्या सी0एम0 96/सत्तर-3-2023 दिनांक 11 सितम्बर, 2023 पर माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों पर समुचित कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही की आख्या अधोहस्ताक्षरी को आगामी 05 दिवस में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे प्राप्त आख्या शासन को प्रेषित की जा सके।

कुलसचिव

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय आवासीय परिसर।
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित अशासकीय/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय।
3. वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक।
4. सहायक कुलसचिव कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
5. समस्त सम्बन्धित सहायक कुलसचिव।
6. गार्ड फाइल।

कुलसचिव

E-Mail

महत्वपूर्ण

संख्या–सी0एम0 96 / सत्तर–3–2023

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. कुलसचिव, समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 11 सितम्बर, 2023

विषय : मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 01.08.2023 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बैठक में हुई चर्चा तथा मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–25 / स.बै. / 34 –लो.शि.–4 / 2023, दिनांक 11.08.2023 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मा0 मुख्यमंत्री जी के दिशा–निर्देशों पर समुचित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये कृत कार्यवाही की आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

AR (Acad)
12/09/23

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन को उनके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 11.08.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– निजी सचिव, समस्त विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
5– समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

417
14/09/23

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

संख्या-सी.एम.-16 / सात्तर-3-2023 No. 27280 /MS/CM/2023

कार्यालय

मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश

लोक भवन, लखनऊ

आज़ादी का अमृत महोत्सव

संख्या-25/स.बै./34-लो.शि.-4/2023 दिनांक 11 अगस्त, 2023

संख्या 1617/VIPPSHED/2023

मुख्य सचिव कार्यालय में दिनांक 12/8/23

माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में 01 अगस्त, 2023 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बैठक में हुई चर्चा तथा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत स्टेट स्कूल स्टैण्डर्ड अथॉरिटी का गठन किया जाए जिसके द्वारा सभी विद्यालयों में गुणवत्ता मानक स्थापित किए जाएं। भारतीय ज्ञान, स्थानीय प्रथाएं, इतिहास का समावेश करते हुए स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क भी गठित किया जाए।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए समस्त जनपदों में कार्यशालाओं का आयोजन कराया जाए; पीएम श्री विद्यालयों का राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 पर आधारित घटकों के आधार पर संचालन सुनिश्चित किया जाए।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अटल आवासीय विद्यालयों, पीएम श्री विद्यालयों एवं मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालयों का समयबद्ध रूप से विकास करते हुए कम्पोजिट स्कूल कॉम्प्लेक्स का क्रियान्वयन किया जाए।
- छात्रों के लिए हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, डिजिटल लाइब्रेरी व बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाए।
- छात्रों को लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से वोकेशनल कोर्सेज का परिचय कराते हुए उन्हें कैरियर परामर्श भी उपलब्ध कराया जाए।
- सभी दिव्यांग और आउट ऑफ स्कूल बच्चों की ट्रैकिंग करते हुए समावेशित शिक्षा सुनिश्चित की जाए। बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारते हुए, शिक्षकों को उच्च कोटि का प्रशिक्षण दिया जाए और ब्लेन्डेड अप्रोच में ट्रेनिंग सिद्धांत को अपनाते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पाठ्यक्रमों का संशोधन सुनिश्चित करते हुए कक्षाओं में संचालित किया जाए।
- डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए 'दीक्षा' ऐप का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब की अधिक से अधिक स्थापना के लिए विद्यालयों को प्रेरित किया जाए। स्कूलों में तकनीक का उपयोग हो। समर्थ एप आईटी सिस्टम से नामांकन, ठहराव, उपस्थिति एवं दक्षताओं का रियल टाइम अनुश्रवण किया जाए।
- 'शारदा' ऐप के माध्यम से विद्यार्थी हेतु पहचान नामांकन, ऑनलाइन उपस्थिति, प्रतिधारण और मूल्यांकन किया जाए।
- माध्यमिक विद्यालयों में प्रोजेक्ट अलंकार के तहत शत्-प्रतिशत् विद्यालयों में अवस्थापनाओं का संतृप्तिकरण दो साल में पूर्ण किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

(एम० पी० अग्रवाल)
प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

(... कुमार त्यागी)
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

क्रियान्वयन में अन्तर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित किया जाए; व्यवसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को माध्यमिक विद्यालयों में संचालित किया जाए। स्थानीय ट्रेड दक्षताएं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की ट्रेनिंग कराई जाए; इसमें कौशल विकास के सर्टिफिकेट कोर्सेस को समावेशित किया जाए।

➢ राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का लाभ हर वर्ग, हर व्यक्ति तक पहुँचाना सरकार का कर्तव्य है। इसके तहत आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए 'शारदा' व दिव्यांग बच्चों के लिए 'समर्थ' कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं। इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्पेशल ऐजुकेटर्स और नोडल शिक्षकों के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। कक्षाओं में ब्रेल टैक्स्ट बुक, स्टेशनरी, ऐनलार्ज प्रिन्ट टैक्स्ट बुक सहित विशेष शैक्षिक सामग्री एवं बच्चों हेतु उपकरणों की व्यवस्था हो। दिव्यांग बच्चों के लिए सरकार द्वारा एस्कॉर्ट एलाउन्स व दिव्यांग बालिकाओं हेतु स्टाइपैन्ड दिया जा रहा है; इनका सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए।

(संजय प्रसाद)
प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश शासन
मुख्यमंत्री कार्यालय
संख्या :25/स.बै./34-लो.शि.-4/2023
लखनऊ दिनांक : 11 अगस्त, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा, उ. प्र. शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

(संजय प्रसाद)
प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री